न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– चाँद मल वर्मा (आर.ए.एस.)

अपील प्रकरण संख्या: 135/2015

1. पुष्पा देवी पत्नी श्री गोविन्ददास जाति बैरागी (स्वामी) निवासी चक 99.150 आर.डी.आर. (मोकलसर) तहसील सूरतगढ़
2. भागीरथ पुत्र श्री गोविन्ददास जाति बैरागी (स्वामी) निवासी चक 99.150 आर.डी.आर. (मोकलसर) तहसील सूरतगढ़
3. पूजा पुत्री गोविन्ददास नाबालिक जरिये कुदरतीर बली माता पुष्पादेवी पत्नी गोविन्दराम जाति बैरागी (स्वामी) निवासी चक 99.150 आर.डी.आर. (मोकलसर) तहसील सूरतगढ़
4. सुमन पुत्री गोविन्ददास नाबालिक जरिये कुदरतीर बली माता पुष्पादेवी पत्नी गोविन्दराम जाति बैरागी (स्वामी) निवासी चक 99.150 आर.डी.आर. (मोकलसर) तहसील सूरतगढ़

बनाम

1. रूघाराम पुत्र किशनदास जाति बैरागी निवासी चक 99.150 आर.डी.आर. (मोकलसर) तहसील सूरतगढ़
2. सीता पुत्री पुत्री गोविन्ददास जाति बैरागी (स्वामी) निवासी चक 99.150 आर.डी.आर. (मोकलसर) तहसील सूरतगढ़
3. शारदा पुत्री पुत्री गोविन्ददास जाति बैरागी (स्वामी) निवासी चक 99.150 आर.डी.आर. (मोकलसर) तहसील सूरतगढ़
4. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़
5. उप पंजीयक सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री सुरेन्द्र सुथार
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट, श्री भगवानदत्त शर्मा

निर्णय

दिनांकः 20.02.2018

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय द्वारा रोही मोकलसर के खसरा न. 202/4 की 4.250 है0 रकबा के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम से जारी कर दिये। उक्त निर्णय पारित करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो स्वयं द्वारा कोइ मौका निरीक्षण, किया गया और ना ही कोई दैनिक डायरी तैयार की गई जबकि उक्त जैर अपील रकबा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के पति/पिता गोविन्ददास पुत्र किशनदास को रोही मोकलसर के खसरा न. 202/4 में 17.00 बीघा रकबा सम्वत् 2040 से टी.सी. पर आवंटन होकर लगातार नवीनीकरण होता आ रहा है जिसका अपीलांटगण के पिता/पति के जीवनकाल में गोविन्द दास का कब्जा काश्त था व उसकी मृत्यु उपरान्त जैर अपील रकबा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 का सयुंक्त रूप से कब्जा काश्त बदुरूस्त चला आ रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 को मात्र कागजी आवंटन हुआ है रेस्पोडेंट संख्या 1 का जैर अपील रकबा रोही मोकलसर के खसरा न. 202/4 के एक इंच रकबा पर कतई कब्जा नहीं है। जिसका निर्णय आवंटन एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 04.6.2007 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 को टी.सी. आवंटन भूमि का कब्जा नहीं होनें से समस्त 5.413 है रकबा टी.सी. खारिज की जाती है के आदेश भी पारित किये हुए है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना नहीं गया। अतः अपील स्वीकार की जावे।

अपील संख्या 135/2015 पर दर्ज की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार हाजिर आये व रेस्पोडेंट की तरफ से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त निर्णय पारित करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो स्वयं द्वारा कोइ मौका निरीक्षण किया गया और ना ही कोई दैनिक डायरी तैयार की गई जबकि उक्त जैर अपील रकबा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के पति/पिता गोविन्ददास पुत्र किशनदास को रोही मोकलसर के खसरा न. 202/4 में 17.00 बीघा रकबा सम्वत् 2040 से टी.सी. पर आवंटन होकर लगातार नवीनीकरण होता आ रहा है जिसका अपीलांटगण के पिता/पति के जीवनकाल में गोविन्द दास का कब्जा काश्त था व उसकी मृत्यु उपरान्त जैर अपील रकबा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 का सयुंक्त रूप से कब्जा काश्त बदुरूस्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा एवं टी.सी. नवीनीकरण के तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। रकबा रोही मोकलसर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

के खसरा न. 202/4 के एक इंच रकबा पर कहाई कब्जा नहीं है। जिसकी पुष्टि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 04.6.2007 से होती है जिसमें उक्त अपीलांट का कब्जा नहीं माना व कब्जे के अभाव में ही अपीलांट का पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इस रकबे में है पूर्व में टी.सी. भी हमारी है। अतः जैर अपील आदेश द्वारा जारी खातेदारी अधिकार निरस्त किये जावे।

बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट यह अपील करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में पक्षकार नहीं थे। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 04.6.2007 द्वारा हमारा कब्जा नहीं माना व इसी आधार पर ही हमारा पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया । हमने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के निर्णय के विरूद्व अपील पेश की। जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.01.2014 को निर्णय पारित कर हमारी अपील स्वीकार कर ली व पुनः जांच कर निर्णय पारित करने के आदेश पारित कर दिये। पत्रावली रिमाण्ड होकर न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) में पेशी में ली गई। अब पत्रावली में पटवारी हल्का, गिरदावर से मौका की रिपोर्ट ली जाकर व व बाद जांच ही नियमानुसार खातेदारी दी गई है। टी.सी. के संबंध में भी जांच की गई। हमारा टी.सी. आवंटन पुराना है। व लगातार नवीनीकरण होता आ रहा है। अपीलांट की टी.सी. 2042 के बाद कभी नवीनीकरण नहीं हुआ। न नहीं इस बाबत अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य/सबूत पेश किया गया है। इनके द्वारा पुख्ता आवंटन बाबत लगाया गया प्रार्थना पत्र भी खारिज किया गया है। व आज तक इन्हे पुख्ता आवंटन नहीं हुआ। हमारी टी.सी. पुख्ता हुई है।अतः अपील खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने जवाब बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में प्रभावी पक्षकार है। उक्त रकबा अपीलांट के पिता/पति को संवत् 2040 में टी.सी. आवंटन हुआ था। जिस पर हमारा लगातार कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे व हमारी अपील स्वीकार की जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान से अवलोकन किया। साथ ही उभय पक्ष बहस पर चिंतन, मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आते है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष संवत् 2040 में स्वयं को टी.सी. आवंटित भूमि के पुख्ता आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट की गई कि मौके पर रूघाराम का कब्जा नहीं है, भूमि खारिज योग्य है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आवंटन एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा रूघाराम के नाम से जारी टी.सी. आवंटन खारिज कर दिया। आवंटन अधिकारी के निर्णय की अपील रेस्पोडेंट संख्या 1 रूघाराम द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की । माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी को रिमाण्ड कर दिया। आवंटन अधिकारी ने जैर अपील भूमि डी-कॉलोनी में होनें के कारण प्रकरण तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को रिमाण्ड कर दिया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा पुनः प्रकरण पेशी लेकर पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगी गई। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा मौके पर खसरा न. 201/2 की 1.163 है0 भूमि नहर में आने से व खसरा न. 202/4 की 4.260है0 भूमि पर रूघाराम का कब्जा होना बताया है व खातेदारी जारी किये जाने की अनुशंसा की है। जिसके आधार पर तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.7.2015 में रूघाराम के नाम खातेदारी अधिकार जारी कर दिये। रूघाराम का टी.सी. आवंटन लगातार नवीनीकरण होता आ रहा है। पत्रावली में शामिल नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2062-2065 में अंकित अनुसार खसरा न. 202/4 में अपीलांट की 1.644 है0 टी.सी. भूमि दर्ज है। एवं इस खसरा की शेष 4.260 है0 भूमि रूघाराम के नाम टी.सी. दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत् 2062-2065 में अंकित नोट अनुसार अपीलांट को इंतकाल संख्या 717 दिनांक 30.01.2015 द्वारा खसरा न. 202/4 में 1.644 है0 भूमि के खातेदारी अधिकार दे दिये गये है। अपीलांट द्वारा उक्त 1.644 है0 भूमि के अलावा और टी.सी. भूमि होनें बाबत कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया है। रूघाराम को दिये गये खातेदारी अधिकार रिकार्ड में दर्ज टी.सी. एवं मौका जांच की जाकर दिये गये है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यहीन होनें के कारण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.7.2015 यथावत् रखा जाता है।

निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

20/2/18

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner